



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 2511/2023

1- चंद्रमणि नायक मृतक, द्वारा: प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारियों। शशिभूषण नायक, पिता स्व. चंद्रमणि नायक, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी - ग्राम कोण्डातरई, तहसील पुसौर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़। (प्रस्तावित अपीलार्थी)

...याचिकाकर्ता(गण)

विरुद्ध

1- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: जिला मजिस्ट्रेट रायगढ़, छत्तीसगढ़।

...उत्तरवादी(गण)

याचिकाकर्ता की ओर से

: श्री पवन श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से

: श्री रतन पुष्टी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय की सहायता हेतु न्याय मित्र के रूप में

श्री आदिल मिन्हाज, अधिवक्ता

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल

बोर्ड पर आदेश

13.12.2024

1. यह याचिका मृतक-एकल अपीलार्थी-चंद्रमणि नायक के प्रस्तावित विधिक प्रतिनिधि शशिभूषण नायक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एतस्मिन् पश्चात जिसे "द.प्र.सं." कहा गया है) की धारा 482 सहपठित धारा 394 के अधीन प्रस्तुत की गई है। इसमें इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 939/2004 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसके द्वारा उक्त अपीलार्थी-चंद्रमणि नायक की अपील को, अपील के लंबित रहने के दौरान दिनांक 01.08.2023 को हुई उनकी मृत्यु के कारण, उपशमित कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394 की उपधारा (2) का संदर्भ देते हुए यह तर्क किया कि विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 28/2004 में दिनांक 29.10.2004 को पारित निर्णय के आधार पर, उक्त अपीलार्थी-चंद्रमणि नायक को न केवल 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया था, बल्कि उन पर



5,000/- रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था। अतः, उक्त अपील को उपशमित नहीं माना जा सकता। इसलिए, यह तर्क किया गया है कि दिनांक 17.10.2023 के आदेश को वापस लिया जाए और मृतक एकल अपीलार्थी के प्रस्तावित विधिक प्रतिनिधि को उक्त अपील जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

3. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने द.प्र.सं. की धारा 362 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह तर्क किया कि चूंकि आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है, इसलिए इसका पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता।

4. न्यायालय में उपस्थित श्री आदिल मिन्हाज, जिन्हें इस प्रकरण में न्याय मित्र के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया गया था, ने तर्क किया कि चूंकि सत्र विचारण क्रमांक 28/2004 में दिनांक 29.10.2004 को पारित निर्णय के अन्तर्गत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते समय जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था, इसलिए द.प्र.सं. की धारा 394(2) में निहित विशिष्ट वाक्यांशों, अर्थात् "जुर्माने के दण्डादेश की अपील के सिवाय", के दृष्टिगत मृतक एकल अपीलार्थी (चंद्रमणि नायक) द्वारा प्रस्तुत अपील को उपशमित नहीं माना जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरनाम सिंह विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य, (1975) 3 एससीसी 343** के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

5. मैंने पक्षकारण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि मृतक एकल अपीलार्थी, जो वर्तमान याचिकाकर्ता के हित-पूर्वाधिकारी थे, ने विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 28/2004 में दिनांक 29.10.2004 को पारित निर्णय से व्यथित होकर एक अपील प्रस्तुत की थी। उक्त निर्णय के द्वारा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन दोषसिद्ध एवं 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000/- रुपये के जुर्माने का दण्डादेश से दण्डित किया गया था, साथ ही यह निर्देश दिया गया था कि यदि वह जुर्माने की राशि जमा करने में असफल रहता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

7. उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, उक्त अपीलार्थी-चंद्रमणि नायक का दिनांक 01.08.2023 को निधन हो गया। इसलिए, उक्त अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए इस न्यायालय को सूचित किया कि उक्त तिथि को उनका निधन हो गया है। इसे संज्ञान में लेते हुए, उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को दिनांक 17.10.2023 के आदेश के माध्यम से उपशमित घोषित कर दिया गया था, जो कि निम्नानुसार है :-



1. "श्री अक्षत तिवारी, अधिवक्ता, जो श्री अवध त्रिपाठी की ओर से उपस्थित हुए हैं, ने कवरिंग मेमो दिनांक 17.07.2023 के माध्यम से एकल अपीलार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि उनका (चंद्रमणि नायक पिता स्व. कृपा राम नायक) इस अपील के लंबित रहने के दौरान 01.08.2023 को निधन हो गया है।

2. तदनुसार, इस अपील को उपशमित हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।"

8. उपर्युक्त सूचना के आधार पर, उक्त अपील को उपशमित मानते हुए खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, इस स्तर पर यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या उक्त अपील, जिसमें अपीलार्थी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ जुर्माने से दण्डित किया गया था, उपशमित मानी जा सकती है। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394 के अधीन निर्धारित उपबंधों को देखना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं:-

"394. अपीलों का उपशमन (1) धारा 377 या धारा 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा।

(2) इस अध्याय के अधीन (जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय) प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा :

परन्तु जहां अपील, दोषसिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है वहां उसका कोई भी निकट नातेदार, अपीलार्थी की मृत्यु के तीस दिन के अन्दर अपील जारी रखने की इजाजत के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है; और यदि इजाजत दे दी जाती है तो अपील का उपशमन न होगा।

स्पष्टीकरण इस धारा में "निकट नातेदार" से माता-पिता, पति या पत्नी, पारंपरिक वंशज, भाई या बहन अभिप्रेत है।

9. उपरोक्त प्रावधान अपीलों के उपशमन से संबंधित हैं। इसकी उपधारा (1) यह प्रावधान करती है कि द.प्र.सं. की धारा 377 या धारा 378 के अधीन प्रत्येक अपील अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमित हो जाएगी। वहीं, उपधारा (2) यह प्रावधान करती है कि अध्याय XXIX (29) के अधीन प्रत्येक अन्य अपील (जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय) प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। इसके परंतुक में यह उल्लेख है कि जहां अपील, दोषसिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है वहां उसका कोई भी निकट नातेदार, अपीलार्थी की मृत्यु के तीस दिन के अन्दर अपील



जारी रखने की इजाजत के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है; और यदि इजाजत दे दी जाती है तो अपील का उपशमन न होगा।

10. द.प्र.सं. की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत उक्त अपील को, उनके अधिवक्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिनांक 17.10.2023 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से उपशमित मान लिया गया था। द.प्र.सं. की धारा 394 के प्रावधानों के सरल परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यदि राज्य शासन द्वारा द.प्र.सं. की धारा 377 के अधीन दण्डादेश की अपर्याप्तता से व्यथित होकर, या धारा 378 के अधीन अभियुक्त की दोषमुक्ति व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की जाती है, तो वह द.प्र.सं. की धारा 394(1) के अधीन अभियुक्त की मृत्यु पर उपशमित हो जाएगी। यद्यपि, द.प्र.सं. की धारा 394 की उपधारा (2) यह प्रावधान करती है कि अध्याय XXIX (29) के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा, किंतु इसमें स्पष्ट रूप से "जुमाने के दण्डादेश की अपील के सिवाय" वाक्यांश दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि धारा 377 या 378 के अतिरिक्त अन्य धाराओं के अधीन प्रस्तुत अपीलें तब उपशमित नहीं होंगी, यदि वे जुमाने के दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हों।

11. सत्र विचारण क्रमांक 28/2004 में दिनांक 29.10.2004 को पारित उक्त निर्णय के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक एकल अपीलार्थी को न केवल सात वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया था, बल्कि उस पर 5,000/- रुपये का जुमाना भी अधिरोपित किया गया था। अतः, द.प्र.सं. की धारा 394 की उपधारा (2) के अधिदेश के दृष्टिगत, यदि अपील जुमाने के दण्डादेश के विरुद्ध की गई है चाहे वह अकेले जुमाने के विरुद्ध हो या कारावास के दण्डादेश के साथ संयुक्त रूप से हो तो उसे उपशमित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह इस उपबंध के अर्थ के भीतर जुमाने के दण्डादेश की अपील मानी जाएगी।

12. उपर्युक्त अवलोकन की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरनाम सिंह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांतों से होती है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 431 (उक्त उपबंध द.प्र.सं., 1973 की धारा 394 के अनुरूप है) के अधीन निर्धारित उपबंधों की व्याख्या करते हुए, कण्डिकाएँ 9 से 12 एवं 14 में निम्नानुसार अवधारित किया गया था :-

"9. अध्याय XXXI (31) के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाता है। 'प्रत्येक अन्य अपील' से तात्पर्य दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील के अतिरिक्त किसी अन्य अपील से है, अर्थात् दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील। अतः, दोषसिद्धि के विरुद्ध प्रत्येक अपील अभियुक्त की मृत्यु पर उपशमित हो जाती है, सिवाय उस अपील के जो जुमाने के दण्डादेश की अपील हो। जुमाने के दण्डादेश की अपील को दण्डिक अपीलों के उपशमन के सर्वव्यापी नियम से बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि जुमाना मृतक की संपदा पर एक दायित्व बन जाता है



और वे विधिक प्रतिनिधि, जिन्हें वह संपदा विरासत में मिलती है, उस दायित्व को दूर करने या उससे बचने के हकदार हैं।

10. अब जो सीमित प्रश्न विचार के लिए शेष है, वह यह है कि क्या कारावास और जुमाने को जोड़ने वाली संयुक्त दण्डादेश के विरुद्ध की गई अपील, धारा 431 के प्रयोजनार्थ जुमाने के दण्डादेश की अपील नहीं मानी जाएगी। यह सच है कि संयुक्त दण्डादेश के विरुद्ध की गई अपील आमतौर पर कारावास और जुमाने दोनों के विरुद्ध निर्देशित होती है। किंतु, केवल इस कारण से ऐसी अपील जुमाने के दण्डादेश की अपील होना बंद नहीं हो जाती। यह केवल जुमाने के दण्डादेश की अपील से कुछ अधिक है, कम नहीं। और यह गौर करने वाली बात है कि धारा 431 के कोष्ठक वाले खंड में 'केवल' शब्द शामिल नहीं है। इस अपवाद के प्रभाव को सीमित करना ताकि इसमें से कारावास और जुमाने दोनों के विरुद्ध निर्देशित अपीलों को बाहर निकाला जा सके धारा में 'केवल' शब्द को पढ़ने जैसा होगा, जो वहां है ही नहीं और जिसे व्याख्या की किसी भी तकनीक द्वारा वहां नहीं पढ़ा जा सकता। धारा 431 का स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रत्येक दण्डादेश की अपील अभियुक्त की मृत्यु पर उपशमित हो जाती है, जुमाने का दण्डादेश की अपील के सिवाय। इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि अपील जुमाने के दण्डादेश की हो, न कि यह कि वह 'केवल' उस दण्डादेश की हो। यदि अपील के अधीन दिए गए निर्णय द्वारा जुमाना अधिरोपित गया है, चाहे वह अकेले हो या कारावास के दण्डादेश के साथ संयुक्त हो, तो दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील धारा 431 के अर्थ के भीतर जुमाने के दण्डादेश की अपील मानी जाएगी। इसके लिए बस इतना आवश्यक है कि अभियुक्त पर जुमाने का दण्डादेश अधिरोपित किया गया हो और उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में उस दण्डादेश की वैधता पर विचार शामिल होना चाहिए।

11. इसके विपरीत दृष्टिकोण के पीछे किसी भी तर्कसंगत सिद्धांत को समझ पाना कठिन है। इस अपवाद में निहित नियम का कारण यह है कि जुमाने का दण्डादेश सीधे मृतक की संपदा के विरुद्ध प्रभावी होता है, और इसलिए विधिक प्रतिनिधि उस संपदा को उस दायित्व से मुक्त कराने के हकदार हैं। जुमाने का दण्डादेश किसी अन्य दण्डादेश के साथ संयुक्त है या नहीं, इससे इस सिद्धांत के अनुप्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

12. अभियुक्त हरनाम सिंह द्वारा इस न्यायालय में दायर अपील, चूंकि उसमें दण्डादेश की वैधता अथवा उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार शामिल था, अतः वह जुमाने का दण्डादेश की अपील थी। मृतक अपीलार्थी की विधवा जिसे अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधि के रूप में लाया गया है तदनुसार, अपील को आगे बढ़ाने की पात्र है।



14. तदनुसार, मृतक अपीलार्थी की विधवा, जिसे अपील के अभिलेख पर उनके विधिक प्रतिनिधि के रूप में लाया गया है, अपील जारी रखने की पात्र है क्योंकि जुमाने के दण्डादेश सीधे उस संपदा को प्रभावित करती है जो उनके पति की मृत्यु पर उन्हें प्राप्त होगी।"

13. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धांतों का अवलंब लेते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने **ओली बेबी उर्फ बेबी पिता कुंजुकुंजु विरुद्ध केरल राज्य, 2019 0 सुप्रीम (केर) 455= 2019 केएलटी 706** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया, जहाँ मृत अपीलार्थी के किसी भी निकट नातेदारों ने, अपने हित-पूर्वाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत अपील में, उनके प्रतिस्थापन के लिए आवेदन नहीं किया, जबकि वह तीन वर्ष की कारावास के दण्ड तथा ₹1,00,000/- के जुमाने से व्यथित थे। कण्डिकाएँ 7 व 8 में निम्नानुसार है :-

“7. हरनाम सिंह (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, वर्तमान अपील को संहिता की धारा 394(2) के अर्थ के भीतर जुमाने के दण्डादेश की अपील के रूप में विचार किया जाएगा।

8. पजहानी विरुद्ध केरल राज्य (2017)(2017) (1) केएचसी 173: 2017 (1) केएलटी 341 में, इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या दोषसिद्धि और कारावास के दण्डादेश के साथ-साथ जुमाने के विरुद्ध की गई अपील, अपीलार्थी/अभियुक्त की मृत्यु पर उपशमित हो जाएगी, यदि अपीलार्थी का कोई भी नातेदार अपील की कार्यवाही जारी रखने के लिए आगे नहीं आता है। पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जुमाने के दण्डादेश के विरुद्ध अपील के प्रकरण में, अभियुक्त की मृत्यु पर अपील का उपशमन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मृतक अपीलार्थी के निकट नातेदारों द्वारा अपील की कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। यदि अपील को जारी रखने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है, तो अपील को उपशमित मानकर समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि, मृतक अपीलार्थी के निकट नातेदारों के अनुरोध पर उस उपशमन को अपास्त किया जा सकता है, भले ही संहिता में इसके लिए कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। निकट नातेदारों द्वारा अभिलेख पर आने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

14. इसी प्रकार, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने **किसन गोविंद दुते (मृतक, द्वारा विधिक प्रतिनिधियों) वेणुबाई किसान दुते व अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, 2015 एससीसी आनलाइन बाम्ब 7765** में प्रकाशित प्रकरण के कण्डिका 1 से 3 में निम्नानुसार अवधारित किया है:-



"1. वर्तमान आवेदकगण मृतक किसन गोविंद दुते के विधिक उत्तराधिकारी हैं, जो मूल अभियुक्त है। श्री टी.वाई. हिवराले, अतिरिक्त संयुक्त तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नासिक द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 13/2009 में दिनांक 18.10.2011 को पारित निर्णय और आदेश के द्वारा, किसान दुते को भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के अधीन दोषसिद्ध एवं तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया गया था। उक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश से व्यथित होकर, किसन दुते ने दण्डिक अपील क्रमांक 1599/2011 प्रस्तुत की थी। किसन दुते का दिनांक 08.05.2013 को निधन हो गया। इस तथ्य की सूचना न्यायालय को दी गई थी, अतः दिनांक 01.09.2014 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपील को उपशमित मानकर खारिज कर दिया था।

2. अब, मृतक किसन दुते के उत्तराधिकारियों ने उपशमन के आदेश को अपास्त करने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया है, क्योंकि किसान दुते द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज हो जाने के कारण उन पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश यथावत है; इस कारण आवेदक के विधिक उत्तराधिकारियों को कोई पेंशन, उपदान आदि जारी नहीं की जा रही है। संबंधित प्राधिकरण ने कथन किया है कि चूंकि किसन दुते को दोषसिद्ध किया गया है, इसलिए वह किसी भी पेंशन, उपदान आदि का हकदार नहीं होगा, अतः उपशमन आदेश को अपास्त करने और दण्डिक अपील क्रमांक 1599/2011 को पुनर्स्थापित करने के लिए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक को आदेश अपास्त करने और दण्डिक अपील क्रमांक 1599/2011 को पुनर्स्थापित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, यह आवेदन (क), (ख) और (ग) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।"

15. उपरोक्त संदर्भित प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया है और उसे न केवल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, बल्कि जुर्माने की राशि से भी दण्डित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में, अपील को उपशमित नहीं माना जा सकता है।

16. जहाँ तक उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 का संदर्भ देते हुए उठाई गई आपत्ति का संबंध है, उसे खारिज किया जाता है; क्योंकि जैसा कि ऊपर देखा गया है, उक्त अपील को मृतक/एकमात्र अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उपशमित मानकर खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के सरल परिशीलन से



यह स्पष्ट होता है कि उसमें न्यायालय द्वारा कोई न्यायिक अवधारण या निर्णय नहीं लिया गया था, चूँकि यह केवल एकल अपीलार्थी चंद्रमणि नायक की मृत्यु की सूचना के आधार पर उपशमित की गई थी।

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के अधीन निर्धारित उपबंध के सरल परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण का निपटान करने वाले किसी निर्णय और अंतिम आदेश अनुध्यात करता है। "निर्णय" शब्द, जिसे संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य विरुद्ध राम नरेश पाण्डेय व एक अन्य, एआईआर 1957 एससी 389** में "न्यायालय के न्यायिक अवधारण या निर्णय" के रूप में की गई थी। इसकी कण्डिका 7 में की गई सुसंगत टिप्पणी निम्नानुसार है:—

"7. हमारे समक्ष उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 494, के वाक्यांश "अन्य प्रकरणों में निर्णय उद्धोषित किए जाने से पूर्व" में प्रयुक्त 'निर्णय' शब्द का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया है कि वाक्यांश "अन्य प्रकरणों में" केवल उन कार्यवाहियों को संदर्भित कर सकता है जो एक नियमित निर्णय में समाप्त होती हैं, न कि प्रतिबद्धता जैसे किसी अंतरिम आदेश में। यहाँ फिर से, विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार किए जाने के मार्ग में कठिनाई यह है कि निर्णय शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह सामान्य अर्थ वाला शब्द है और इसका अर्थ केवल "न्यायालय का न्यायिक अवधारण या निर्णय" होता है। (देखें व्हार्टन लॉ लेक्सिकॉन, 14 वां संस्करण, पृष्ठ 545)। इस धारा के संदर्भ में यह विचार करने का कोई कारण नहीं है कि यह उपार्पण आदेश पर लागू नहीं होता है, जो जांच न्यायालय से संबंधित कार्यवाही को समाप्त करता है। यह संभव है कि संहिता के अध्याय XXVI के संदर्भ में 'निर्णय' का अर्थ सीमित हो सकता है। किसी भी दृष्टिकोण से, भले ही इस संदर्भ में 'निर्णय' को सीमित अर्थ में समझा जाए, तो भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि प्रारंभिक जांच के दौरान दिया गया आवेदन जो अनिवार्य रूप से विचारण में निर्णय से पूर्व का होता है— अपवर्जित है।"

18. अभिव्यक्ति "प्रकरण का निपटान करने वाला निर्णय एवं अंतिम आदेश" का आशय गुण-दोष के आधार पर पारित विचारित आदेश से है, न कि मात्र साधारण खारिजी आदेश से। चूँकि उपशमन के आधार पर उक्त अपील को खारिज करने से पहले गुण-दोष के आधार पर कोई न्यायनिर्णयन नहीं किया गया था, इसलिए द.प्र.सं. की धारा 362 के अधीन प्रदत्त वर्जन आकृष्ट नहीं होगा, जैसा कि उत्तरवादी/राज्य की ओर से अधिवक्ता द्वारा आरोप लगाया गया है। अतः, उनके द्वारा इस संबंध में दिया गया यह तर्क कि दिनांक 17.10.2023 को पारित आक्षेपित आदेश का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, अस्वीकार की जाती है।



19. उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, यह याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है और दाण्डिक अपील क्रमांक 939/2004 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है तथा उक्त अपील को उसके मूल क्रमांक पर पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही, याचिकाकर्ता-शशिभूषण नायक को, मृतक एकल अपीलार्थी-चंद्रमणि नायक का विधिक प्रतिनिधि होने के नाते, उनके स्थान पर प्रतिस्थापित होने की अनुमति दी जाती है। रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपील को आगे की सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे।

20. मैं इस विवाद्यक पर बहुमूल्य सहायता प्रदान करने के लिए विद्वान न्यायमित्र श्री आदिल मिन्हाज के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ।

सही/-

(संजय एस. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।